

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 ,आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(6)उच्च शिक्षा/ग्रुप-3/2023

जयपुर, दिनांक:- 13.04.2023

**-: आदेश :-**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-347.01.0 की अनुपालना में नावां-नागौर, दौसा एवं चित्तौड़गढ़ में नवीन राजकीय विधि महाविद्यालय खोले जाने एवं उक्त नवीन महाविद्यालयों के लिए बजट मद 2202-03-103-02-00 में निम्नानुसार 60 नवीन पदों के सृजन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	पदनाम	प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या	03 महाविद्यालयों हेतु स्वीकृत पद
1.	प्राचार्य	01	03
2.	सहायक आचार्य	08	24
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	03
4.	शारीरिक शिक्षक	01	03
5.	सहायक लेखाधिकारी-।	01	03
6.	अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	03
7.	सूचना सहायक	01	03
8.	वरिष्ठ सहायक	01	03
9.	कनिष्ठ सहायक	02	06
10.	बुक लिफ्टर	01	03
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	06
	<b>कुल योग</b>	<b>20</b>	<b>60</b>

- उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में सृजित नवीन पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
  - सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
  - वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक/अनावर्तक व्यय के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं फर्नीचर, उपकरण एवं कम्प्यूटर क्रय के संबंध में आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
  - साथ ही उक्त नवीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रति महाविद्यालय राशि रुपये 4.50 करोड़ के व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300713 दिनांक 12.04.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ब्रजमोहन नोगिया)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
- संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
- शासन उप सचिव-।।, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
- आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उक्त स्वीकृति को AFS मॉड्यूल पर ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

Digitally signed by Brij Mohan Nogia  
Designation: Deputy Secretary  
Date: 2023.04.13 17:24:36 IST  
Reason: Approved उप सचिव-प्रथम

RajKaj Ref No. : 3640584



विषय :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-347.01.0 की अनुपालना में 03 नवीन राजकीय विधि महाविद्यालय खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 13.04.2023 के पृष्ठांकन बाबत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव-प्रथम, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. चैयरमेन, बीसीआई कार्यालय, नई दिल्ली।
12. कूल सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान।
13. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान/कार्यकारी निदेशक, रूडसिको/प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
15. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी/संयुक्त निदेशक, प्रशासन, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नवीन राजकीय विधि महाविद्यालयों में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति की बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार कार्मिकों की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
16. संयुक्त निदेशक, अकादमिक, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यथासमय उक्त नवीन राजकीय विधि महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
17. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन विधि महाविद्यालयों हेतु नियुक्त संबंधित नोडल अधिकारी एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
18. नोडल अधिकारी, संबंधित नवीन राजकीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन विधि महाविद्यालय के संचालन हेतु संबंधित सहायक निदेशक कार्यालय एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन करवाया जाना एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए, संबद्धता प्राप्त होने पर बीसीआई कार्यालय नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
19. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
20. रक्षित पत्रावली।

( डॉ. विमलेश सोनी )  
संयुक्त निदेशक, आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Vimlesh Soni  
Designation: Associate Professor  
Date: 2023.04.17 15:10:13 IST  
Reason: Approved

